बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

<u>ज्ञाप</u>

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्रीमती नीलम कुमारी, तत्कालीन पणन पदाधिकारी, छपरा शहरी क्षेत्र-सह प्रभारी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सदर अनुमण्डल छपरा सम्प्रति प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी बख्तियारपुर पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक 1988 दिनांक 05.12.2012 द्वारा कतिपय आरोपों के लिये प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर प्राप्त हुआ है । जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा गठित प्रपत्र 'क' में वर्णित आरोपों के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है ।

2. श्रीमती नीलम कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु संयुक्त आयुक्त विभागीय जाँच, सारण प्रमण्डल, सारण को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

3. संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि आरोपी पदाधिकारी को आरोप प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति अपने स्तर से तामिला कराकर तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पुरी कर जाँच प्रतिवेर्दन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देगें ।

4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण को साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. आरोपी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आरोप पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपना बचाव पक्ष संचालन पदाधिकारी को अवश्य समर्पित कर देगें ।

25/3/2013

(सुरेश ठाकुर)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र08गो0आ0 छपरा-60/2010 2023 /खाद्य,पटना/दिनांक 2/4/2013

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, सारण/पटना/संयुक्त आयुक्त विभागीय जाँच सारण प्रमण्डल, सारण -सह- संचालन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, -सह- साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी, सारण/ प्रशाखा पदाधिकारी-3 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/श्री अफजल आजमी, आई0टी0 मैनेजर/श्रीमती नीलम कुमारी, तत्कालीन पणन पदाधिकारी, छपरा शहरी क्षेत्र सम्प्रति प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बख्तियारपुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/3/2013

सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\backup\Year_2012(p)\section_8(P)(Nov_11)\Off_ord..doc